

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-585 / 2008

संस्थित दिनांक-22.08.2008

फाईलिंग क्र.234503000742008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त—बैहर,  
तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

**अभियोजन**

// विरुद्ध //

मुन्नालाल पिता कुंवरलाल वघाड़े, उम्र—45 वर्ष,  
निवासी—ग्राम—परसवाड़ा, थाना—परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — —

**आरोपी**

// निर्णय //

**(आज दिनांक-10/12/2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-04.06.2008 को 12:10 बजे मुन्ना जलपान गृह परसवाड़ा में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 650 मि.ली. क्षमता वाली दो बियर बॉटल पावर 5000 कुल मात्रा 1300 मि.ली. बियर रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आबकारी वृत्त बैहर में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक सीमा कश्यप को दिनांक-04.06.2008 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम परसवाड़ा में आरोपी मुन्नालाल अपने जलपान गृह में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु समय अभाव के कारण बिना तलाशी वारंट प्राप्त किये आरोपी के जलपान गृह में रेड किये। जिस पर आरोपी मुन्नालाल के कब्जे से 650 मि.ली. क्षमता वाली दो बियर बॉटल पावर 5000 कुल मात्रा 1300 मि.ली. रखे हुए पाया गया, जिसके संबंध में आरोपी से लायसेंस पूछे जाने पर आरोपी ने लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी से उक्त शराब गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। फिर थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी प्रकरण क्रमांक-50/08 अंतर्गत धारा-34(1) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर किया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। जप्तशुदा मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र

पेश किया गया।

3— आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी ने दिनांक-04.06.2008 को 12:10 बजे मुन्ना जलपान गृह परसवाड़ा में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 650 मि.ली. क्षमता वाली दो बियर बॉटल पावर 5000 कुल मात्रा 1300 मि.ली. बियर रखा ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सीमा कश्यप (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.06.2008 को आबकारी वृत्त बैहर में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को गश्ती के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी मुन्नालाल अपने जलपान गृह में शराब अवैध रूप से रखकर बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर समय अभाव के कारण बगैर तलाशी वारंट प्राप्त किये आरोपी के जलपान गृह में रेड किये। आरोपी को उक्त सूचना से अवगत कराकर जामा तलाशी पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-1 साक्षियों के समक्ष तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाशी के दौरान आरोपी के जलपान गृह से 650 एम.एल. क्षमता वाली दो बियर पावर 5000 मिली थी। उक्त शराब जांच करने पर उसने बियर होना पाया था। आरोपी के पास उक्त बियर रखने का लायसेंस नहीं था। उक्त बियर को मौके पर सीलबन्द कर अपने कब्जे में लिया। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही साक्षी रामप्रसाद व संजय के समक्ष की थी। तलाशी बाद पंचनामा उक्त साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही साक्षियों के समक्ष की थी, जिस पर उसके, साक्षियों के एवं आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी मुन्नालाल को न्यायालय के द्वारा दिनांक-07.11.2007 को आबकारी से संबंधित अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया गया था, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया था, जो प्रदर्श पी-5 है। विवेचना पूर्ण कर चालानी फार्म प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि तलाशी पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 में आरोपी के हस्ताक्षर हैं, वे अलग-अलग हैं। साक्षी ने उक्त हस्ताक्षर अलग-अलग होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के जलपान गृह में किसी भी व्यक्ति को बियर खरीदते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी को निवास एवं जलपान गृह एक ही मकान में है और कोई भी व्यक्ति 12 बोतल बियर स्वयं के पीने के उद्देश्य से अपने घर में रख सकता है।

7— रामप्रसाद (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना के समय आरोपी के पास से शराब पकड़ी गई थी, जिसमें वह गवाह था। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 एवं तलाशी पूर्व पंचनामा प्रदर्श पी-1 के पश्चात् पंचनामा प्रदर्श पी-3 और गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आबकारी उपनिरीक्षक सीमा कश्यप ने आरोपी से दो बियर की बोतल जप्त की थी, जिसका वह गवाह बना था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय वह आबकारी विभाग में श्रमिक के रूप में कार्यरत् था और सीमा कश्यप के अधिनस्थ कार्यरत् था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे सीमा कश्यप मैडम ने बताया था कि शराब जप्त हुई है, किन्तु उसने जप्त हुई शराब या द्रव्य को नहीं देखा, इसलिए वह नहीं बता सकता कि उक्त द्रव्य की क्या मात्रा थी और वह कहां से जप्त हुआ था। यद्यपि साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी मुन्नालाल के घर से जप्त हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने सभी दस्तावेजों पर एक ही समय में मैडम के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था और उन दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी अपने कथन में स्थिर नहीं रहा है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर अभियोजन का कुछ सीमा तक समर्थन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में किये गए कथन से यह प्रकट होता है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

8— संजय (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके सामने आबकारी वाले ने कोई कार्यवाही नहीं की और न ही आरोपी से कोई जप्ती की थी। साक्षी ने जप्तीपत्रक, जमा तलाशी पूर्व पंचनामा, पश्चात् का पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के अनुसार कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण

में यह स्वीकार किया है कि उसने महिला आबकारी अधिकारी के कहने पर रेस्ट हाउस परसवाड़ा में उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे तथा उसे मैडम ने बताया था कि शराब का प्रकरण है और गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर दो। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया तो उस समय आरोपी उपस्थित नहीं था और न ही वहां कोई शराब थी। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

9— प्रकरण में जप्ती अधिकारी सीमा कश्यप (अ.सा.1) के द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी, व कथित पंचनामा तैयार किये जाने की संपूर्ण कार्यवाही की गई है। इस प्रकार अभियोजन मामले में सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही अधिकारी के द्वारा की गई है। ऐसी दशा में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का सूक्ष्मता से विवेचना साक्ष्य में किया जाना आवश्यक है। जप्ती अधिकारी व अनुसंधानकर्ता के रूप में की गई कार्यवाहियों का समर्थन अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, बल्कि उनकी साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि आबकारी उपनिरीक्षक ने मात्र दस्तावेजी कार्यवाही में उनके हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा मौके पर उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई। मामले में जप्तशुदा कथित तरल पदार्थ की विधिवत् अन्य आबकारी उपनिरीक्षक या अधिकारी से जांच किया जाना भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में एकमात्र विवेचक के द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही, जिसका अन्य साक्षीगण से समर्थन प्राप्त नहीं होने से तथा की गई कार्यवाही विधिवत् रूप से प्रमाणित न होने से आरोपी के विरुद्ध मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

10— आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में निर्णय दिनांक-31.01.08 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-5 पेश की गई है। यद्यपि इस मामले में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित न करने से उक्त पूर्व दोषसिद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

11— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 650 मि.ली. क्षमता वाली दो बियर बॉटल पावर 5000 कुल मात्रा 1300 मि.ली. बियर को अवैध रूप से रखा। फलस्वरूप आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

13- प्रकरण में जप्तशुदा तरल पदार्थ अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावें अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट